न्यायालय श्रीमती अमृता चौधरी, R.A.S न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 01/2022(जीसीएमएस संख्या : 2022/26)

सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।

प्रार्थी,

बनाम

1. अमित जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, विक्रेता, मैसर्स–श्री अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज, निमोडिया रोड, बस स्टैण्ड के पास, चाकसू, जिला–जयपुर।
   निवासी–निमोडिया रोड, बस स्टैण्ड के पास, चाकसू, जिला–जयपुर।
2. त्रिलोक चन्द जैन, भागीदार, मैसर्स–श्री अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज, निमोडिया रोड, बस स्टैण्ड के पास, चाकसू, जिला–जयपुर।
3. श्रीमती ज्ञानमति देवी, भागीदार, मैसर्स–श्री अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज, निमोडिया रोड, बस स्टैण्ड के पास, चाकसू, जिला–जयपुर।
4. श्रीमती ममता जैन, भागीदार, मैसर्स–श्री अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज, निमोडिया रोड, बस स्टैण्ड के पास, चाकसू, जिला–जयपुर।
5. अशोक कुमार जैन, भागीदार, मैसर्स–श्री अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज, निमोडिया रोड, बस स्टैण्ड के पास, चाकसू, जिला–जयपुर।
6. प्रदीप कुमार जैन, भागीदार, मैसर्स–श्री अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज, निमोडिया रोड, बस स्टैण्ड के पास, चाकसू, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II)/51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011)

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार।
2. श्री ईशान कुमार गुप्ता, अभिभाषक, अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 26.12.2022**

प्रार्थी श्री दीपक कुमार सिंधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 06.01.2022 को सांय 05:00 बजे मैसर्स अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज, निमोडिया रोड, बस स्टेण्ड के पास, चाकसू, जिला–जयपुर पर पहुंचा वहां पर अमित जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन उपस्थित मिले। जिन्होने स्वयं को विक्रेता होना बताया। मैसर्स श्री अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज, निमोडिया रोड, बस स्टेण्ड के पास, चाकसू, जिला–जयपुर पर विक्रेता की निर्माण ईकाई का निरीक्षण करने पर 50 किग्रा वजन वाले मैदा के 500 सील कट्टे आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे इनमें

गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर एक कट्टे को खोलकर इसमे से 2 किलोग्राम मैदा वास्ते नमूना जांच विक्रेता श्री अमित जैन को सूचित करते हुए रू. 48/– (अक्षरे रूपये अडतालीस) नकद अदा कर रसीद प्राप्त कर क्रय किया गया। मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष खरीदशुदा 2 किलोग्राम मैदा को एकरूप कर विक्रेता एवं गवाहान को 4 खाली एवं सूखी प्लास्टिक की चौडे मुंह की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा 2 किलोग्राम मैदा को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर चारों बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर चिपकाये गए एवं लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-2380 दर्ज किया। जांच हेतु क्रय की गई 2 किलोग्राम मैदा को जांच कराये जाने पर नमूना मैदा को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/138/एक्ट/2022/167 दिनांक 20.01.2022 के अनुसार नमूना जांच को सब–स्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा सब–स्टैण्डर्ड मैदा का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी को धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस दिया गया। अप्रार्थीगण जरिऐ अभिभाषक हाजिर आये और जवाब पेश किया।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा है और आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाएं(जन.स्वा.) राजस्थान, जयपुर की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पी.एफ.ए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 एवं संशोधित नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पी.एफ.ए/नोटिफिकेशन/ 2011/470 दिनांक 09.08.2011 के द्वारा प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की गई है। आदेश क्रमांक निदेशालय/एफएसएसए/2019/832 दिनांक 29.09.2019 द्वारा कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय आंवटित किया गया है और इसके अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में आते है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं आंवटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय/निर्माण स्थल का निरीक्षण किये जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 06.01.2022 को सांय 05:00 बजे मैसर्स अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज, निमोडिया रोड, बस स्टेण्ड के पास, चाकसू, जिला–जयपुर पर पहुंचा जहां पर अमित जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को मैसर्स अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज का विक्रेता होना बताया। निरीक्षण करने पर 50 किग्रा वजन वाले मैदा के 500 सील कट्टे आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे इनमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर एक कट्टे को खोलकर इसमे से 2 किलोग्राम मैदा वास्ते नमूना जांच विक्रेता श्री अमित जैन को सूचित करते हुए रू. 48/– (अक्षरे रूपये अडतालीस) नकद अदा कर रसीद प्राप्त कर क्रय किया गया। मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष

खरीदशुदा 2 किलोग्राम मैदा को एकरूप कर विक्रेता एवं गवाहान को 4 खाली एवं सूखी प्लास्टिक की चौडे मुंह की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा 2 किलोग्राम मैदा को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर चारों बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर चिपकाये गए एवं लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-2380 दर्ज किया और मौके पर प्रारूप 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढाकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मौके पर ही श्री अमित जैन ने पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है जो प्रारूप 5ए एवं फर्द मौका पर दर्ज है। मौके पर ही प्रारूप 5ए की एक प्रति अप्रार्थी अमित जैन को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अप्रार्थी अमित जैन अंकित है। प्राप्ति रसीद पर 2 गवाहान के हस्ताक्षर है। पूरी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है, मौके पर ही अप्रार्थी एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है। मौके पर इसकी एक प्रति अप्रार्थी को दी गई है, जिसके प्राप्ति हस्ताक्षर अप्रार्थी के मौजूद है। प्रार्थी ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर संबंधितों को जमा करवाया है। जांच हेतु क्रय की गई मैदा को जांच कराये जाने पर नमूना मैदा को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/138/एक्ट/2022/167 दिनांक 20.01.2022 के अनुसार नमूना जांच को सब–स्टैण्डर्ड फूड होना पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा सब–स्टैण्डर्ड मैदा का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी को धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री ईशान कुमार गुप्ता ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि पूरा प्रकरण कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की सब–स्टैण्डर्ड मैदा का न तो निर्माण किया गया और न ही बेचा गया है, न ही अप्रार्थी द्वारा बेचा जाता है। दिनांक 06.01.2022 को एक व्यक्ति जिसने स्वयं को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताया था किन्तु कोई परिचय पत्र नहीं बताया और ना ही कोई अनुज्ञा पत्र की मांग की किन्तु मिन अप्रार्थी द्वारा वांछित दस्तावेज उक्त अधिकारी को सौंप दिये। प्रार्थी पेरोकार का यह कहना गलत है कि आवेदक को गुणवत्ता की कमी होने का अंदेशा हुआ हो बल्कि उक्त आवेदक ने 2 किलो मैदा क्रय करना चाहा जिसे मिन विपक्षी ने आवेदक को बेचान कर दिया तथा आवेदक को उक्त विक्रय किये गये माल की रसीद जारी कर दी किन्तु यह कहना गलत है कि दीपक कुमार जैन एवं संदीप अग्रवाल के हस्ताक्षर कराये हो ऐसे कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये और ना ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कोई हस्ताक्षर किये। मिन विपक्षी को इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि उक्त अधिकारी द्वारा क्या–क्या कार्यवाही की गई है मिन विपक्षी के समक्ष ऐसी कोई कार्यवाही निष्पादित नहीं की गई। पेरोकार सरकार का यह कहना भी गलत है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फॉर्म 05 ए एवं फर्द रिपोर्ट तैयार की हो और यह भी गलत है कि मिन विपक्षी को पढकर, सुनाकर व समझाकर हस्ताक्षर किये हो और अमित जैन ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये हो और रसीद प्राप्त की

हो। ऐसे कोई दस्तावेजात ना तो तैयार किये गये और ना ही समझाया गया बल्कि अधिकारी ने दबाव देकर कुछ खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाये थे। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज जो कि अधिकारी ने तैयार किये है जिससे मिन विपक्षी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और न ही सत्य एवं सही है। प्रार्थी पेरोकार का यह कहना गलत है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मैदा को एक रूप करके 4 खाली एवं सूखी प्लास्टिक की चौडे मुंह की बोतल दिखाकर एयरटाईट बन्द किया हो और लेबल तैयार कर बोतलो पर चिपकाये हो और जिस पर AN–2380 दर्ज किया हो और यह भी गलत है कि प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये हो और गवाहान के हस्ताक्षर करवाये हो और यह भी गलत है कि चारो नमूनो को अलग–अलग खाकी कागजो पर लपेटकर उपर से नीचे तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर सील चपडी किया हो और यह भी गलत है कि प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये हो और नमूनो को अपने जाप्ते में लिये हो। सम्पूर्ण तथ्य बनावटी है। तथाकथित अधिकारी द्वारा न तो खाली प्लास्टिक की बोतल दिखाई और न ही एयरटाईट किया तथा ढक्कन लगाने एवं लेबल लगाने की कार्यवाही नहीं की गई बल्कि उक्त अधिकारी ने बिना पढाये एवं बिना बताये कुछ कागजो आदि पर हस्ताक्षर करवा लिये थे और मिन विपक्षी ने उक्त अधिकारी के दबाव में आकर हस्ताक्षर किये थे किन्तु शेष कार्यवाही जो मद में अंकित की है वह उक्त अधिकारी ने बिना मिन विपक्षी की जानकारी एवं सम्मुख तैयार नहीं की है ऐसी स्थिति में उक्त अधिकारी ने कोई कार्यवाही की भी है तो इससे मिन विपक्षी पाबन्द नहीं है और न ही ऐसी विधि विरूद्ध कार्यवाही मिन विपक्षी के विरूद्ध करने का ही अधिकार है। उक्त मद के समर्थन में अधिकारी द्वारा कोई फोटोग्राफ, विडियो प्रस्तुत नहीं की है जिससे उक्त तथ्यों की पुष्टि हो सके। यह कहना गलत है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म संख्या 06 की 07 प्रतियां तैयार की हो और नमूना सील लगाई हो और एक नमूना फार्म संख्या 06 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर खाद्य विश्लेषक को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की हो। सम्पूर्ण तथ्य बनावटी है और सत्यता से परे है। यह भी कहना गलत है कि नमूना जांच विक्रय पदार्थ सब–स्टैण्डर्ड पाया गया हो बल्कि उक्त जांच रिपोर्ट में गुणवत्ता में कमी होना अंकित किया है और यह बताया गया है कि उक्त मैदा में मॉश्चयर 15.21 प्रतिशत होना पाया गया है और जो कि 14 प्रतिशत से अधिक होना बताया है। यहा यह अंकित करना आवश्यक है कि मॉश्चयर मैदा में 14 प्रतिशत से अधिक होना कतई सम्भव नहीं है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त माल की पैकिंग सही तरीके से नहीं होने एवं उक्त बोतल के डिफेक्टिव होने एवं जानबूझकर प्लास्टिक की बोतल के कारण हो सकता है किन्तु मिन अप्रार्थी के उक्त माल में उक्त मॉश्चयर आना कतई सम्भव नहीं है और ऐसी स्थिति में उक्त माल को सब–स्टैण्डर्ड माना जाना स्वमेव ही गलत सिद्ध हो जाता है किन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जानबूझकर परेशान करने के आशय से उक्त कृत्य अंकित किया है एवं गलत कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस कारण उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन पाये जाने पर

धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में निम्नांकित दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाएं (जन.स्वास्थ्य.) राजस्थान, जयपुर की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पी.एफ.ए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 एवं संशोधित नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पी.एफए/नोटिफिकेशन/2011/470 दिनांक 09.08.2011 की प्रति ।
2. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाएं (जन.स्वास्थ्य.) राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक निदेशालय/एफएसएसए/2019/832 दिनांक 29.09.2019 की प्रति जिसके द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय का कार्य क्षेत्र का आवंटन किया गया है।
3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.01.2022 को नमूने के लिऐ क्रय किये 2 किलोग्राम मैदा के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 06.01.2022 को दिये गऐ केश–मीमों दिनांक 06.01.2022 की प्रति जिसके द्वारा रूपये 48/– नकद लिये जाना स्वीकार किये जाने की प्राप्ती पर स्वयं विक्रेता के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गऐ प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर विक्रेता अमित जैन के हस्ताक्षर है और गवाहान के भी हस्ताक्षर है।
5. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर विक्रेता अमित जैन के हस्ताक्षर है व दो गवाहान के हस्ताक्षर है।
6. अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तहन भाग फॉरम–II फॉरम III फॉरम IV की प्राप्ति रसीदें।
7. खाद्य विश्लेषक को जॉच हेतु नमूना भिजवाने के लिऐ तैयार किया गया प्रारूप 6 की प्रति एवं प्रारूप 6 की प्रतियां प्राप्ति की रसीद की प्रतियां।
8. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना सब–स्टैण्डर्ड होना अंकित है।
9. श्री अमित जैन मैसर्स–श्री अरिहन्त एग्रो इण्डस्ट्रीज को अपील हेतु लिखे गऐ पत्र दिनांक 08.02.2022 की प्रति।

प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कथन का खण्डन तो किया गया है किन्तु अपने कथन को सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे है। दिनांक 05.01.2022 व 06.01.2022 की मौसम विभाग की जो तापमान की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके आधार पर कोई रिलीफ नहीं दी जा सकती क्योंकि जो नमूना जॉच हेतु लिया गया वह सील्ड कट्टे में से लिया गया है न कि खुले कट्टे से । जॉच हेतु लिये गऐ नमूने की खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 20.01.2022 में नमूने को सब–स्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ होना पाया है, इस रिपोर्ट दिनांक 20.01.2022 पर सन्देह किये जाने का कोई आधार नहीं है इसके बावजूद भी अप्रार्थी को रिपोर्ट दिनांक 20.01.2022 की अपील किये जाने हेतु जरिये पत्र क्रमांक 27 दिनांक 08.02.2022 सूचित किया गया है अप्रार्थी द्वारा टेस्ट रिपोर्ट दिनांक 20.01.2022 की अपील नहीं की गई है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी को टेस्ट

रिपोर्ट दिनांक 20.01.2022 की रिपोर्ट सब–स्टैण्डर्ड होना स्वीकार है। अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि मौके पर विक्रय हेतु पाये गये 500 सील्ड कट्टे मैदा से एक कटटे में से विक्रय किया गया 2 किलोग्राम मैदा जो विक्रय किया गया है वह सब–स्टैण्डर्ड है और अप्रार्थी अमित जैन ने सब–स्टैण्डर्ड मैदा का विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह सिद्ध करते हो कि अप्रार्थी द्वारा सब–स्टैण्डर्ड मैदा का बार–बार विक्रय किया गया है अथवा पूर्व में विक्रय किया गया हो और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में पूर्व में शास्ति से दण्डित किया गया हो। अतः विचारण प्रकरण में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए हम अप्रार्थी के कृत्य के लिए राशि रूपये 20,000/–(अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें। निर्धारित अवधि में शास्ति की राशि जमा नहीं कराने पर प्रार्थी कार्यालय द्वारा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमृता चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय)
जयपुर